उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 77 / 2021 — अन्तर्गत धारा 86 (2) RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 आसुराम पुत्र नगाराम 2 चेनाराम पुत्र तेजाराम 3 लाधाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 13.12.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा हनुमानपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 858, 1005 / 858 रकबा क्रमशः 6.3374, 0.8094 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर का सृजन मूल खसरा नम्बर 173 के विभाजित होने से हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक परिपत्र संख्या प.3(2) राज. / 6 / 2003 / पार्ट / 04 दिनांक 10.08.2016 जारी कर स्थाई रास्ते जो सार्वजनिक एवं बारहमासी हो एवं परंपरागत व कदीमी रूप से चालू है, किन्तु उनका राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हो सका हो, ऐसे रास्तों के अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के नियमों के तहत किये जाने हेतु जारी किया गया। उक्त परिपत्र के अनुसरण में प्रार्थी के खसरा नम्बर 858, 1005 / 858 में से जहां प्रार्थी की रहवासी ढाणी के मुख्य द्वार से प्रस्तावित कर दिया गया, जबकि वहां से कोई चलायमान रास्ता नहीं है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा मौके पर चलायमान रास्ता अनुसार स्थान परिवर्तन किया जाकर आंशिक संशोधन चाहा गया है। अन्य खसरा नम्बर 966 / 857 में से कोई चलायमान रास्ता उपलब्ध नहीं है, जबकि केवल मात्र व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने हेतु उक्त रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो सरासर गलत होने पर पुनर्विलोकन हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 858 व 1008 / 858 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में चलायमान रास्ते हेतु दर्शायी गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर चलायमान रास्ता अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर खसरा नम्बर 1006 / 858 रकबा 0.1619 हैक्टेयर जो ग्रेवल सड़क निकल रही है, उसकी एक तरफ खसरा नम्बर 858 रकबा 5.5281 हैक्टेयर तथा दुसरी तरफ खसरा नम्बर 1005 / 858 रकबा 1.6187 हैक्टेयर आया हुआ है तथा खातेदारान् का कब्जा काश्त भी इसी प्रकार है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त एवं चलायमान ग्रेवल सड़क को मध्यनजर रखते हुए उपस्थित मौतबिरान एवं प्रभावित पक्षकारान् द्वारा मौका फर्द अनुसार रकबा संशोधन एवं मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान रास्ते में आंशिक संशोधन किया जाकर तहसीलदार शिव से

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार रकबा संशोधन एवं मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में मौके पर चलायमान रास्ता अनुसार स्थान परिवर्तन किया जाकर आंशिक संशोधन चाहा गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 1006/858 रकबा 0.1619 हैक्टेयर जो ग्रेवल सड़क निकल रही है, उसकी एक तरफ खसरा नम्बर 858 रकबा 5.5281 हैक्टेयर तथा दुसरी तरफ खसरा नम्बर 1005/858 रकबा 1.6187 हैक्टेयर आया हुआ है तथा खातेदारान् का कब्जा काश्त भी इसी प्रकार है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त एवं चलायमान ग्रेवल सड़क को मध्यनजर रखते हुए मौका फर्द अनुसार रकबा संशोधन एवं मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्ती बाबत् मौतबिरान् व खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी तद्नुसार रकबा संशोधन व मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का रकबा संशोधन व तरमीम तद्नुसार मौके पर चलायमान रास्ता एवं कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमानपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 858, 1005/858 रकबा क्रमशः 6.3374, 0.8094 हैक्टेयर भूमि का आंशिक रकबा संशोधन करते हुए तथा लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार मौका फर्द अनुसार खसरा नम्बर 858 का रकबा 5.5281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1005/858 का रकबा 1.6187 हैक्टेयर किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार रकबा संशोधन व दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 13.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner